प्रेस नोट दिनांक- 08.06.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़

थाना आसपुर देवसरा पुलिस एवं स्पेशल टीम की संयुक्त कार्यवाही में 202.31 ग्राम अवैध एम.डी. (Methamphetamine Drugs) (जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय कीमत करीब 01 करोड़ रूपये) नशीला पदार्थ बरामद, 05 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार व 01 चार पहिया अर्टिगा कार, एक बिना नम्बर प्लेट मोटरसाइकिल बरामद ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा जनपद में अपराध एवं मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी आसपुर देवसरा उ0नि0 श्री राकेश चौरसिया एवं जनपद की स्पेशल टीम प्रभारी उ0नि0 श्री विजेन्द्र सिंह मय हमराह को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।

दिनांक 07/08.06.2026 की रात्रि में सैफाबाद-मुरैनी मार्ग पर संदिग्ध वाहन एवं व्यक्तियों की वाहन चेकिंग के दौरान एक अर्टिगा कार संख्या UP50 BP 7575 तथा एक बिना नम्बर प्लेट की स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल को रोककर तलाशी के दौरान अभियुक्तों एवं उनके वाहनों से कुल 202.31 ग्राम अवैध एम.डी. (Methamphetamine Drugs) बरामद की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान 1. सूरज दुबे उर्फ दीपेश पुत्र अनन्त प्रसाद दुबे निवासी लच्छीपट्टी थाना सिंगरामऊ जनपद जौनपुर, 2. आनन्द मिश्रा पुत्र तीरथ राज मिश्रा निवासी सौराई थाना आसपुर देवसरा, 3. दिव्यांशु दूबे उर्फ गब्बर पुत्र संजय दूबे निवासी लच्छीपट्टी थाना सिंगरामऊ जनपद जौनपुर, 4. आलोक शुक्ला पुत्र अशोक शुक्ला निवासी औंगापुर थाना आसपुर देवसरा तथा 5. मंजीत मिश्रा पुत्र राकेश मिश्रा निवासी लखनीपुर थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ के रूप में हुई।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बरामद एम.डी. नशीले पदार्थ को बिक्री हेतु ले जाना स्वीकार किया गया। बरामद मादक पदार्थ की कुल मात्रा 202.31 ग्राम पाई गई, जो वाणिज्यिक श्रेणी (Commercial Quantity) के अंतर्गत आती है। घटना में प्रयुक्त अर्टिगा कार एवं मोटरसाइकिल को कब्जे पुलिस में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

इस संबंध में थाना आसपुर देवसरा पर मु0अ0सं0 147/2026, धारा 22(सी) एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों को नियमानुसार न्यायालय भेजा जा रहा है। जनपद

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर एवं प्रभावी कार्यवाही लगातार जारी है। अभियुक्तों से पूछताछ के क्रम में यह बात प्रकाश में आयी है कि अभियुक्त आनन्द मिश्रा व मंजीत मिश्रा अपने अन्य साथी कुशु मिश्रा व छोटू मिश्रा के साथ एमडी का कारोबार कर रहे हैं । कुशु मिश्रा व छोटू मिश्रा का पूर्व में भी लम्बा अपराधिक इतिहास रहा है। कुशु मिश्रा उपरोक्त का बड़ा भाई लवी मिश्रा को पूर्व में ही एमडी के बड़े कारोबार में संल्पितता के कारण हरियाणा पुलिस व दिल्ली पुलिस द्वारा जेल भेजने की कार्यवाही की जा चुकी है। घटना में संलिप्त अन्य अपराधियों का भी लम्बा अपराधिक इतिहास रहा है जो क्रमशः निम्नलिखित है।

आपराधिक इतिहास.

01. आनन्द मिश्रा पुत्र तीरथराज मिश्रा निवासी ग्राम सौराई थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष

I. मु0अ0सं0-158/23 धारा-323/504/506 भादवि थाना आसपुर देवसरा

II. मु0अ0सं0-88/23 धारा-323/504/506 भादवि व 3(1)द, ध Sc/St Act थाना आसपुर देवसरा

III. मु0अ0सं0-291/23 धारा-308/323 भादवि थाना आसपुर देवसरा

IV. मु0अ0सं0-381/22 धारा -323/504/506 भादवि थाना आसपुर देवसरा

V. मु0अ0सं0-412/22 धारा-354ग/420/468/496/506 भादवि थाना सुल्तानपुर

VI. मु0अ0सं0 147/2026, धारा 22(सी) एनडीपीएस एक्ट थाना आसपुर देवसरा

02. दिव्यांशु दूबे उर्फ गब्बर पुत्र संजय दूबे निवासी ग्राम लच्छीपट्टी थाना सिंगरामऊ जनपद जौनपुर उम्र करीब 24 वर्ष

I. मु0 अ0सं0- 90/21 धारा 392/411 भादवि थाना सिंगरामऊ जनपद जौनपुर

II. मु0अ0सं0 99/26 धारा 190, 191(2), 191(3), 288, 308(5), 324(2), 351(3), 352, 61(2)(a) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़

III. मु0अ0सं0 147/2026, धारा 22(सी) एनडीपीएस एक्ट थाना आसपुर देवसरा

03. आलोक शुक्ला पुत्र अशोक शुक्ला निवासी ग्राम औंगापुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष

I. मु0अ0सं0 113/21 धारा 147, 323, 325, 504, 506 भादवि थाना आसपुर देवसरा प्रतापगढ़

II. मु0अ0सं0 147/2026, धारा 22(सी) एनडीपीएस एक्ट थाना आसपुर देवसरा

04. मंजीत मिश्रा पुत्र राकेश मिश्रा निवासी लखनीपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष

I. मु0अ0सं0 468/25 धारा -115(2)/33/351(3)/352/3(5) बीएनएस थाना चांदा सुल्तानपुर

II. मु0अ0सं0 147/2026, धारा 22(सी) एनडीपीएस एक्ट थाना आसपुर देवसरा

5. सूरज दुबे उर्फ दीपेश पुत्र अनन्त प्रसाद दुबे निवासी लच्छीपट्टी थाना सिंगरामऊ जनपद जौनपुर

I. मु0अ0सं0 147/2026, धारा 22(सी) एनडीपीएस एक्ट थाना आसपुर देवसरा

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-:-

1. सूरज दुबे उर्फ दीपेश पुत्र अनन्त प्रसाद दुबे निवासी लच्छीपट्टी थाना सिंगरामऊ जनपद जौनपुर

2. आनन्द मिश्रा पुत्र तीरथ राज मिश्रा निवासी सौराई थाना आसपुर देवसरा

3. दिव्यांशु दूबे उर्फ गब्बर पुत्र संजय दूबे निवासी लच्छीपट्टी थाना सिंगरामऊ जनपद जौनपुर

4. आलोक शुक्ला पुत्र अशोक शुक्ला निवासी औंगापुर थाना आसपुर देवसरा

5. मंजीत मिश्रा पुत्र राकेश मिश्रा निवासी लखनीपुर थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़

बरामदगी-

01. 202.31 ग्राम अवैध एम.डी. (Methamphetamine Drugs)

02. एक अर्टिगा कार संख्या UP50 BP 7575 तथा एक बिना नम्बर प्लेट स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल

गिरफ्तार करने वाली टीम :

स्पेशल टीम प्रभारी उ0नि0 श्री विजेन्द्र सिंह मय हमराह हे0 का0 भानु प्रताप सिंह, का0 मुकेश कुमार पटेल, का० माधवेश राय, का० पियूष यादव व का० आनन्द यादव

थानाध्यक्ष राकेश चौरसिया मय हमराह चौकी प्रभारी सैफाबाद उ0नि0 श्री योगेन्द्र सिंह,का० प्रतीक यादव, का० नरेन्द्रराम, का0 रामप्रकाश यादव, रि०आ० शिवम यादव चालक का0 सुनील कुमार सिंह थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़

“नशे का कारोबार समाज को खोखला कर रहा है, ऐसे अपराधियों के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। किसी भी दशा में नशे का धंधा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आमजन से अपील है कि नशा तस्करी या नशा कारोबार की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।”

थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा चोरी की मोटर साइकिल सहित शातिर वाहन चोर गिरफ्तार

थाना सांगीपुर पुलिस को मिली सफलता: 01 शातिर वाहन चोर कुलदीप मिश्रा चोरी की मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार,

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सांगीपुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। पुलिस टीम द्वारा एक शातिर वाहन चोर कुलदीप मिश्रा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की मोटर साइकिल बरामद की गई।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी सांगीपुर गौरव त्रिवेदी के नेतृत्व में उ0नि0 आदित्य पाण्डेय मय हमराह रि0का0 पियूष कान्त सिंह व रि0का0 जितेन्द्र कुमार, का0 मुकुल अग्रे व रि0का0 रणधीर गौंड द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध/वाहन,तलाश वांछित वारण्टी, मुखबिर की सूचना पर थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गतदेऊम चौराह के पास से 01 अभियुक्त कुलदीप मिश्रा पुत्र राजेन्द्र मिश्रा उर्फ विजय कुमार मिश्रा नि० ग्राम भैरवन थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ के कब्जे से 01 अदद मोटरसाइकिल हीरो एचएफ डीलेक्स के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त कुलदीप मिश्रा के कब्जे से 01 अदद मोटरसाइकिल हीरो एचएफ डीलेक्स बरामद की गई। जिसके संबंध में थाना सांगीपुर में मु0अ0सं0 124/2026 धारा 317(2)/318 (4)/338/336 (3)/340 (2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

उक्त चोरी की मोटर साइकिल के संबंध में जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि यह मोटर साईकिल दिनांक 01.06.2026 रात्रि करीब 12 से 01 बजे के बीच नौगीर गांव से चोरी हो गया था जिसके सम्बन्ध मे UPCOP पोर्टल के माध्यम से शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 01.06.2026 को अपनी मोटर साईकिल की चोरी/खोने के सम्बन्ध मे सूचना दर्ज करवायी थी।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि यह मोटरसाइकिल मैने करीब एक सप्ताह पहले नौगीर के पास नौटंकी नाच हो रही थी। वही चोरी किया था। मोटरसाइकिल में जो नम्बर प्लेट पूर्व मे लगी है वो मैने बदल दी थी जिससे किसी को यह पता न चल सके कि यह चोरी की मोटर साईकिल है। इस मोटरसाइकिल का सही नम्बर कुछ और था जो मुझे याद नहीं है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. कुलदीप मिश्रा पुत्र राजेन्द्र मिश्रा उर्फ विजय कुमार मिश्रा नि० ग्राम भैरवन थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

बरामदगी-

01 अदद मोटरसाइकिल हीरो एचएफ डीलेक्स बरामद ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 आदित्य पाण्डेय मय हमराह रि0का0 पियूष कान्त सिंह व रि0का0 जितेन्द्र कुमार, का0 मुकुल अग्रे व रि0का0 रणधीर गौंड थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना अंतू पुलिस की बड़ी कार्यवाही: सबमर्सिबल के खुले तारों से करंट लगने से हुई मौत के मामले में नामजद अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में बड़ी कार्यवाही: सबमर्सिबल के खुले तारों से करंट लगने से हुई युवक की मृत्यु के मामले में नामजद अभियुक्त गिरफ्तार

प्रतापगढ़।

वादिनी निवासी ग्राम रामनगर भोजपुर, तहसील सदर, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा सूचना दी गई कि उनका पुत्र दिनांक घटना को सुबह अपने खेत में धान की नर्सरी हेतु पानी लगाने गया था। आरोप है कि समीप स्थित खेत में लगे सबमर्सिबल पंप से जुड़े खुले विद्युत

तारों में प्रवाहित करंट की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से झुलसकर गिर पड़ा। परिजन उसे तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस संबंध में थाना अंतू में मु0अ0सं0 140/2026 धारा 105 बीएनएस बनाम 01 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी अंतू श्री अभिषेक सिरोही के नेतृत्व में उ0नि0 रविन्द्र कुमार मय हमराह का अंकित कुमार रि0का0 आनन्द कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध/वाहन,तलाश वांछित वारण्टी, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 140/2026 धारा 105 बीएनएस थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त शेरबहादुर सिंह पुत्र विक्रमादित्य सिंह निवासी रामनगरभोजपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ को थाना अंतू क्षेत्रान्तर्गत राम नगर भोजपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. शेरबहादुर सिंह पुत्र विक्रमादित्य सिंह निवासी रामनगर भोजपुर थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 रविन्द्र कुमार मय हमराह का अंकित कुमार रि0का0 आनन्द कुमार थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

दिनांक : 08.06.2026

कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 1.260 किग्रा अवैध गांजा एवं बिक्री से प्राप्त ₹30,100 नकद के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में चौकी भगवा पुलिस को मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

चौकी प्रभारी भगवा उ0नि0 अमित सिंह मय पुलिस टीम संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहन चेकिंग में मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति भगवा रेलवे क्रॉसिंग के पास अवैध गांजा लेकर खड़ा है। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज को अवगत कराया गया तथा उनके निर्देशन में पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई। पुलिस को देखकर संदिग्ध व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुए पकड़ लिया गया।

पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम दिनेश कुमार पुत्र स्व. सोमई राम निवासी खभोर माधोगंज, थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़ बताया। तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से 1.260 किलोग्राम अवैध गांजा तथा गांजा बिक्री से प्राप्त ₹30,100 नकद बरामद हुए। पूछताछ में अभियुक्त ने बरामद धनराशि को गांजा बिक्री से अर्जित धन बताया तथा गांजा बेचकर आजीविका चलाने की बात स्वीकार की।

बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 329/2026, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। बरामद गांजा एवं नकदी को नियमानुसार सील कर कब्जे पुलिस में लिया गया तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त :

दिनेश कुमार पुत्र स्व. सोमई राम निवासी खभोर माधोगंज, थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी :

1.260 किलोग्राम अवैध गांजा

गांजा बिक्री से प्राप्त ₹30,100 नकद

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अमित सिंह चौकी प्रभारी भगवा मय हमराह का0 नागेन्द्र खरवार, का० विलास यादव, का० श्यामसुन्दर का0 अंकित कुमार, रि०आ० राहुल चौबे थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रतापगढ़ पुलिस जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध कारोबार के विरुद्ध प्रभावी एवं सतत अभियान चलाकर कठोर कार्यवाही कर रही है।

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चोरी के मुकदमे में वांछित महिला अभियुक्ता गिरफ्तार, चोरी किए गए जेवरात बरामद

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में चौकी चिलबिला पुलिस द्वारा चोरी के मुकदमे में वांछित एक महिला अभियुक्ता को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी किए गए जेवरात बरामद किए गए हैं।

थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 280/2026 धारा 305 बीएनएस में विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर चौकी प्रभारी चिलबिला उ0नि0 लक्ष्मीकांत सिंह सेंगर मय पुलिस टीम द्वारा चिलबिला रेलवे स्टेशन के बाहर से अभियुक्ता वार्ता विश्वकर्मा पत्नी शिवम उपाध्याय निवासी ग्राम ओरा, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता के कब्जे से चोरी के एक जोड़ी पायल (सफेद धातु), पांच जोड़ी बिछिया (सफेद धातु) एवं एक जोड़ी टॉप्स (पीली धातु) बरामद किए गए।

पूछताछ के दौरान अभियुक्ता ने स्वीकार किया कि उक्त जेवरात उसने अपने पति के साथ मिलकर मकान मालकिन के घर से आलमारी का लॉकर तोड़कर चोरी किए थे। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है। वादिनी द्वारा मौके पर पहुंचकर अभियुक्ता की पहचान अपने किरायेदार के रूप में तथा बरामद जेवरात की शिनाख्त अपने चोरी हुए सामान के रूप में की गई। गिरफ्तार अभियुक्ता के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है। बरामद जेवरात को कब्जे पुलिस में लेकर सील कर मालखाने में जमा कराया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्ता :

वार्ता विश्वकर्मा पत्नी शिवम उपाध्याय निवासी ग्राम ओरा, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी :

एक जोड़ी पायल (सफेद धातु)

पांच जोड़ी बिछिया (सफेद धातु)

एक जोड़ी टॉप्स (पीली धातु)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :

उ0नि0 लक्ष्मीकांत सिंह सेंगर, चौकी प्रभारी चिलबिला

कां0 जितेन्द्र सिंह

म0का0 प्रीति सिंह

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा चोरी की समर सेबल सहित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कुण्डा श्री मनोज कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में थाना कुण्डा पुलिस को चोरी के एक प्रकरण में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

दिनांक 07.06.2026 को वादी श्री आनन्द कुमार मिश्र पुत्र रामलखन मिश्र निवासी मझिलगांव (राय जी का पुरवा), थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा सूचना दी गई कि उनके द्वारा संचालित आर.एल. वाटर पार्क, मझिलगांव से एक व्यक्ति समर सेबल चोरी कर ले जा रहा था, जिसे मौके पर पकड़ लिया गया है। सूचना पर थाना कुण्डा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा पूछताछ एवं जांच के दौरान पकड़े गए व्यक्ति की पहचान बिलाल अहमद पुत्र आफताब अहमद निवासी ग्राम पूरे अली नकी थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष के रूप में हुई।

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा आर.एल. वाटर पार्क के स्टोर से समर सेबल चोरी करना स्वीकार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की गई एक अदद समर सेबल बरामद की गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कुण्डा पर मु0अ0सं0 188/2026, धारा 303(2)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है तथा बरामद समर सेबल को कब्जे पुलिस में लिया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त :

बिलाल अहमद पुत्र आफताब अहमद निवासी ग्राम पूरे अली नकी थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष।

बरामदगी : 01 अदद समर सेबल (चोरी का माल)।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 दुर्गेश सिंह मयहमराह का0 उमाशंकर भारती व   रि0का0 अश्वनी सोनकर